

जैव विविधता नियम, 2004

## पर्यावरण और बन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2004

**सा.का.नि. 261 (अ).** - केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 द्वारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है एवं करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव विविधता नियम, 2004 है।
- (2) ये 15 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ:-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकरण” से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “जैव विविधता प्रबंध समिति” से स्थानीय निकाय द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई जैव विविधता प्रबंध समिति अभिप्रेत है;

(घ) “अध्यक्ष” से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ड) “फीस” से अनुसूची में नियत कोई फीस अभिप्रेत है;

(च) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) “सदस्य” से यथास्थिति राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है; और अध्यक्ष भी है.

(ज) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) “सचिव” से प्राधिकरण का पूर्णाकालिक सचिव अभिप्रेत है;

(ञ) ऐसे शब्दों और पदों के जिनका प्रयोग किया गया है, किन्तु वे इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

### 3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार से बाहर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या चयन द्वारा की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की दशा में आवेदक भारत सरकार द्वे अपर सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होना चाहिए।

#### **4. अध्यक्ष की पदावधि**

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उन्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (2) परन्तु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसकी पदावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण नहीं करेगा।
- (3) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को कम से कम एक मास की सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

#### **5. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते:-**

- (1) अध्यक्ष 26,000 रु. प्रतिमाह के नियत वेतन का हकदार होगा। किसी सैवानिवृत्त व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में, उसका वेतन उस व्यक्ति को लागू केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसे भत्तों, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, आवास और अन्य परिलक्षियों आदि का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।

#### **6. गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते**

- (1) प्राधिकरण का प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य राजपत्र में उसकी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से एक समय में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा।
- (2) प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने वाले प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य ऐसे बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के आयोगों और समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को ऐसे आयोगों या समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए लागू हैं।

#### **7. गैर सरकारी सदस्यों की रिवित्तियों का भरा जाना**

- (1) प्राधिकरण का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय लिखित में अपने हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और प्राधिकरण में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।
- (2) प्राधिकरण में किसी गैर सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्ति इस पद को उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नाम निर्दिष्ट किया गया है, शेष पदावधि तक धारण करेगा।

### 8. प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना

प्राधिकरण के किसी सदस्य को, धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव से नीचे की रेंक का न हो, सम्यक और उचित जांच कराए बिना और ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

### 9. प्राधिकरण का सचिव

- (1) प्राधिकरण अपने लिए एक सचिव की नियुक्ति करेगा।
- (2) सचिव की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा विनियम द्वारा अवधारित की जाएंगी।
- (3) सचिव प्राधिकरण के अधिवेशनों का समन्वयन और अधिवेशन बुलाने और प्राधिकरण के कर्मचारियों का अभिलेख रखने और ऐसे अन्य विषयों, जो उसे प्राधिकरण द्वारा सौंपें जाएं, के लिए उत्तरदायी होगा।

### 10. प्राधिकरण के अधिवेशन

- (1) प्राधिकरण के अधिवेशन तीन मास की अवधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम चार बार प्राधिकरण के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, आयोजित किए जाएंगे।
- (2) अध्यक्ष प्राधिकरण के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।
- (3) सदस्यों को कोई सामान्य अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना दी जाएगी और विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए उद्देश्य, समय व स्थान जिस पर ऐसा अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करते समय कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी।
- (4) प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (5) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विनिश्चय, यदि आवश्यक हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (7) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में गणपूर्ति पांच होगी।
- (8) कोई सदस्य किसी अधिवेशन में ऐसे किसी विषय पर, जिसमें उसे दस दिन की सूचना नहीं दी गई है, अधिवेशन पर विचार करने के लिए अग्रसरित नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अध्यक्ष स्विवेदन से ऐसा करने के लिए अनुमति न करें।

- (9) अधिवेशन की सूचना सदस्यों से संवाहक द्वारा परिदृष्ट करके या इसे उसके अंतिम निवास या कारबार के ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति में जिसे मामले की परिस्थितियों में प्राधिकरण का सविव ठीक समझे, दी जा सकेगी ।
11. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी हकदारी :-
- (1) प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह ठीक समझे, उतनी संख्या में समितियां गठित कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या अंशतः सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।
  - (2) प्राधिकरण के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों द्वारा अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसी फीस और भर्तों का संदाय किया जाएगा जो प्राधिकरण ठीक समझे ।
12. प्राधिकरण के साधारण कृत्य:-
- प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात्:-
- (i) धारा 3, धारा 4 और धारा 6 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;
  - (ii) केन्द्रीय सरकार के जैव विविधता के संरक्षण और उसके संघटकों को पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना;
  - (iii) राज्य जैव विविधता बोर्डों के क्रियाकलापों को समन्वित करना;
  - (iv) राज्य जैव विविधता बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना "
  - (v) अध्ययन आरंभ करना और अन्वेषण तथा अनुसंधान प्रायोजित करना;
  - (vi) प्राधिकरण को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए फुरमशदात्राओं को लगाना;
- परन्तु यह कि यदि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी फुरमशदात्रा को लगाना आवश्यक और समीचीन है तो प्राधिकरण ऐसे लगाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वनुमोदन मांगेगा ।
- (vii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े और मैनुअल, संहिताएं या गाइडें संगृहीत, संकलित और प्रकाशित करना ।
  - (viii) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान और उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित जन प्रचार द्वारा एक व्रहत कार्यक्रम आयोजित करना;

- 
- (ix) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे या लगाए गए या लगाए जानेवाले कार्मिकों के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करना;
  - (x) प्राधिकरण का उसकी रसीदों और केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा।
  - (xi) प्राधिकरण के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पदों के सृजन करने की सिफारिश करना परन्तु ऐसा पद चाहे स्थायी/अस्थायी हो या किसी भी प्रकृति का N. केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा [
  - (xii) प्राधिकारियों के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती की पद्धति का अनुमोदन करना,
  - (xiii) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर और इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए कदम उठाना;
  - (xiv) राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लिखित में निदेश देना;
  - (xv) प्राधिकरण के कार्यकरण और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;
  - (xvi) समय-समय पर जैवीय संसाधनों की बाबत 6 की उपधारा (1) के अधीन फीस या धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन स्वामित्वों के प्रभारों के फायदे के प्रभाजन की सिफारिश, उपांतरित और संगुहीत करना;
  - (xvii) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान मजूर करना;
  - (xviii) अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बंध में किसी क्षेत्र का वास्तविक निरीक्षण करना।
  - (xix) भारत से बाहर किसी देश में किसी जैवीय संस्थान और किसी अवैध रीटि में भारत से अभिप्राप्त ज्ञान के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार अनुदान किए जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करना;
  - (xx) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाया निर्देशित कि, जाएं।

### 13. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

- (1) अध्यक्ष का प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों दर संपूर्ण नियंत्रण होगा ।
- (2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारीवृद्ध के ऊपर साधारण अधीक्षण की शक्तियां होंगी और वह प्राधिकरण के कार्यों के संचालन और प्रबंध के लिए आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा ।
- (3) अध्यक्ष प्राधिकरण के सभी गोपनीय कागजों और अभिलेखों का भाससाधक होगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जत्तरदायी होगा ।
- (4) प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश अध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन होंगे ।
- (5) अध्यक्ष या तो स्वयं इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट के सभी संदायों को मंजूरी और संवितरित कर सकेगा ।
- (6) अध्यक्ष को सभी प्रावक्तव्यों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी अनुदत्त के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी ।
- (7) अध्यक्ष प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों को बुलाएगा और उनको अधिसूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी विनिश्चय समुचित रीति में कार्यान्वयित किए गए हैं ।
- (8) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

### 14. जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए प्रक्रिया

- (1) अनुसंधान या गाणिजिक उपयोग के लिए जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच रखने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन चाहनेवाला कोई व्यक्ति प्ररूप 1 में कोई आवेदन करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में चैक या मांगपत्र के रूप में 10,000 रु. की फीस होगी ।
- (3) प्राधिकरण आवेदक के संबद्ध स्थानीय निकाय से परामर्श करने और ऐसी कोई जानकारी संगृहीत करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाए, आवेदन का यथाशक्य शीघ्र उसकी प्राप्ति से छः मास की अवधि के मीतर निपटारा करेगा ।

- (4) प्राधिकरण आवेदन के गुणागुण का समाधान करने के पश्चात् जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच का अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करने के लिए ठीक समझे, अनुदत्त कर सकेगा।
- (5) पहुंच के संबंध में अनुमोदन प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्पर्क रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में होगा :
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट करार का प्ररूप प्राधिकरण द्वारा अधिकथित किया जाएगा और उसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा, अर्थात्:-
- (i) साधारण उद्देश्य और अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन का प्रयोजन;
  - (ii) जैवीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का वर्णन संलग्न जानकारी भी है;
  - (iii) जैवीय संसाधन (अनुसंधान, प्रजनन, वाणिज्यिक उपयोग आदि) के आशयित उपयोग;
  - (iv) वे शर्तें जिनके अधीन आवेदक बौद्धिक सपदा अधिकार चाहता है;
  - (v) मौद्रिक और अन्य आनुषंगिक फायदों और अन्य आनुषंगिक फायदों की मात्रा, यदि आवश्यक हों, विशिष्टतया यदि जैवीय सामग्री अनुसंधान प्रयोजनों के लिए तो गई हैं और बाद में उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और उसके पश्चात्वर्ती उपयोग के संबंध में किसी अन्य परिवर्तन की टशा में भी प्रतिबद्धता के लिए कोई नया करार करना;
  - (vi) किसी तृतीय पक्षकार को पहुंच प्राप्त जैव प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अंतरित करने से निर्बन्धित करना;
  - (vii) जैवीय संसाधनों की मात्रा और क्वालिटी के विनिर्देश के संबंध में, जिसके लिए आवेदक पहुंच चाहता है, प्राधिकरण द्वारा नियत की गई सीमा का अनुपालन करना;
  - (viii) धारा 39 में पहचान किए गए निकेयों के साथ पहुंच चाहने के लिए जैवीय सामग्री के किसी निर्देश नमूने का निषेप करने के लिए प्रत्यासूति ;
  - (ix) प्राधिकरण को अनुसंधान और अन्य विकासों की नियमित प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;
  - (x) अधिनियम के उपबंधों और अन्य विकासों की नियम तथा देश में प्रवृत्त अन्य संबंधित विधानों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्धता;
  - (xi) पहुंच प्राप्त जैवीय संसाधनों के संरक्षण और पौष्टीय उपयोग के लिए उपायों को सुकर बनाने के लिए प्रतिबद्धता;
  - (xii) संग्रहण करने के लिए क्रियाकलापों के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्धता;

- (xiii) करार की अवधि, करार के परिसमापन की सूचना, व्यक्तिगत खंडों की स्थतंत्र प्रवर्तनीयता, उस सीमा तक उपबंध का फायदा, प्रभाजन खंडों में बाध्यता से करार का परिसमापन, घटना, सीमांकन, दायित्व (प्राकृतिक आपदाएं), माध्यस्थम, कोई गोपनीयता। खंड बना रहता है जैसे विधिक उपबंध ।
- (7) पहुंच के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उन जैवीय सम्बंधों, जिनके लिए पहुंच अनुदत्त की जा रही है, के परिष्करण और संरक्षण के लिए उपायों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध कर सकेगा ।
- (8) प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता ।
- (9) कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।
- (10) प्राधिकरण अनुदत्त अनुमोदनों को मुद्रण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कदम उठाएगा और आवधिक रूप से उन शर्तों का, जिन पर अनुमोदन मंजूर किया गया था, अनुपालन मानीटर करेंगे ।
- 15. पहुंच या अनुमोदन का प्रतिसंहरण,-**
- (1) प्राधिकरण किसी शक्तियों के आधार पर या स्वप्रेरणा से नियम 15 के अधीन पहुंच के लिए अनुदत्त अनुमोदन को गापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित आधार को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात्:-
- (i) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्त जिस पर अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है;
  - (ii) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबंधनों का अनुपालन करने से असफल रहा है,
  - (iii) अनुदत्त पहुंचों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहने पर;
  - (iv) लोकहित या पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता परिष्करण का अतिसंघन करने पर;
- (2) प्राधिकरण पहुंच को प्रतिषिद्ध करने और नुकसान का निर्धारण करने के लिए भी, यदि कोई हो, और नुकसान को पूरा करने के लिए किए गए कदमों के संबंध में उसके द्वारा प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति और संबद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंध समितियों को भेजेगा ।

16. जैव संसाधनों के प्रति पहुंच से संबंधित क्रियाकलापों पर निर्बचन:-

- (1) प्राधिकरण यदि आवश्यक और समुचित समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुंच के अनुरोध का निर्बचित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा, अर्थात्:-
  - (i) पहुंच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टेक्सा भी है ;
  - (ii) पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और विरल जातियों के संबंध में ;
  - (iii) पहुंच के लिए अनुरोध से स्थानीय व्यक्तियों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की समावना है ;
  - (iv) पहुंच के लिए अनुरोध से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव पड़ने का परिणाम हो सकेगा जिससे नियंत्रण और उसका उपशमन किया जाना कठिन हो सकेगा ;
  - (v) पहुंच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षण हो सकेगा या प्रारिथितिक कृत्य प्रभावित हो सकेंगे ;
  - (vi) प्रयोजनों के लिए स्त्रों का उपयोग सार्वान्वय हित के और भारत द्वारा किए गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रतिकूल है ।

17. संसाधन के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन चाहने के लिए प्रक्रिया :-

- (1) भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधनों से संबंधित संसाधन के परिणामों को कोई व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्रिक कंपनी और अनिवासी भारतीय को मौद्रिक प्रतिफल करने के लिए अंतरण करने का इच्छुक है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 2 में आवेदन करेगा ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट या चैक के रूप में पांच हजार रुपए की फीस लगी होगी ।
- (3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय उसके प्राप्त होने की तारीख से यथाशक्य शीघ्र तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।
- (4) यदि समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है, अनुदत्त कर सकेगा ।
- (5) अंतरण का अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा—ऐसा—करार—का—प्ररूप—दह—होगा—जो—प्राधिकरण—द्वारा—विनिश्चित—किया—जाए—

- (6) प्राधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी आवेदक को, यदि वह समझता है कि आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, नामंजूर कर सकेगा;
- परन्तु आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।
18. **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए आवेदन करने से पूर्व पूर्वानुमोदन चाहने की प्रक्रिया-**
- (1) कोई व्यक्ति जो जैव सामग्री के संबंध में अनुसंधान के आधार पर भारत से अभिप्राप्त ज्ञान के आधार पर किसी पेटेंट या किसी अन्य बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन करने का इच्छुक है वह प्ररूप 3 में आवेदन करेगा।
  - (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस होगी ।
  - (3) प्राधिकरण आवेदन का सम्यक् रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् और कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् गुणागुण के आधार पर उसकी प्राप्ति से यथासंभव शीघ्र तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय करेगा ।
  - (4) यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण किसी पेटेंट या किसी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए किए गए आवेदन का अनुमोदन ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिसे वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुदत्त कर सकेगा ।
  - (5) अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा । करार के प्ररूप का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ।
  - (6) प्राधिकरण कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को मंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता । नामंजूरी आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।
19. धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए प्रक्रिया,-
- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुंच के लिए अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, पहुंच प्राप्त जैव संसाधन या ज्ञान को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को अंतरण करने का आशय रखता है तो वह प्राधिकरण को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा ।

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में देट बैंक ड्राफ्ट या चैक के रूप में दस हजार रुपए की फीस लगी होगी
- (3) प्राधिकरण कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् उसके प्राप्त होने के यथाशक्य शीघ्र छः मास की अवधि के भीतर आवेदन करेगा
- (4) यदि समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, प्राधिकरण अनुसंधान के परिणामों को अंतरण करने के लिए अनुमोदन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है जिन्हें वह प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझता है, अनुदत्त कर सकेगा।
- (5) अनुमोदन प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उपनियम (4) के अधीन किसी लिखित करार के प्ररूप में अनुकूल किया जाएगा। करार के प्ररूप का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।
- (6) प्राधिकरण अभिलेख किए जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

## 20 साम्यपूर्ण फायदे प्रभाजन के लिए मानदंड (धारा 21)

- (1) प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मानदंड बना सकेगा और फायदे प्रभाजन सूत्र वर्णित कर सकेगा।
- (2) मार्गदर्शक सिद्धांतों में मौद्रिक और अन्य फायदों जैसे स्वामित्व, संयुक्त उद्यम, स्त्रैयोगिकी अंतरण, उत्पाद विकास, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने वाले क्रियाकलाप, संरक्षण तथा निर्माण करने और वैचर पूँजी विधि का उपबंध करेंगे।
- (3) फायदों प्रभाजन के लिए सूत्र का अवधारण मामले दर मामले आधार पर किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण किसी व्यक्ति को पहुंच के लिए zo अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए या पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए या पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और सम्बद्ध ज्ञान का तीसरे पक्ष को अंतरण के लिए कोई अनुमोदन अनुदत्त करते समय पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और सम्बद्ध ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों का साम्यपूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करने के लिए निबंधन और शर्त अधिरोपित कर सकेगा।
- (5) फायदों की मात्रा ऐसे अनुमोदन करने वालों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों और प्राधिकरण के बीच आपसी करार से स्थानीय निकायों और फायदा दावेदारों के परामर्श से आपस में करार पाए जाएंगे और उन्हें

विनिश्चय परिभाषित पहुंच मापदंडों, उपयोग के विस्तार, पोषणीय पहलू, प्रभाव और प्रत्याशित निकर्ष स्तर, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय भी हैं, को सम्यक् ध्यान में लिया जाएगा।

- (6) प्राधिकरण के मामले के आधार पर लघु, मध्यम और दीर्घावधि फायदों के संबंध में फायदे प्रभाजन का निर्धारण करने के लिए समय सूची नियत करेगा।
- (7) प्राधिकरण यह अनुध्यात करेगा कि फायदे जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
- (8) जहां जैव संसाधनों या ज्ञान की पहुंच किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन से है, अथवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकेगा कि करार पाए रकम का संदाय जिला प्रशासन के माध्यम से उन्हें सीधे ही किया गया है, जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती वहां मौद्रिक फायदे राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में निष्पेत्र किए जाएंगे।
- (9) यथास्थिति प्राधिकरण या बोर्ड के लिए प्रशासनिक और सेवा प्रभारों के मध्य निर्धारित फायदों का पांच प्रतिशत अंकित किया जाएगा।
- (10) प्राधिकरण उपनियम (4) में यथा अवधारित फायदे के प्रभार को उसके द्वारा अवधारित रीति में मानीटर करेगा।

## 21. राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के लिए आवेदन:-

- (1) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि का प्रचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जाएगा।
- (2) राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के दो पृथक, लेखांशीर्ष होंगे एक केन्द्रीय सरकार से रसीदों के संबंध में और दूसरा प्राधिकरण की फीस, अनुज्ञाप्ति फीस, स्वामित्व और अन्य रसीदों से संबंधित होगा।

## 22. जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन यथा गठित जैव विविधता प्रबंध समिति एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छः से अन्धिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनमें से एक तिहाई से अन्यून महिलाएं और 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।

- (3) जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी अधिवेशन में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा । स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायिक मत का अधिकार होगा ।
- (4) जैव विविधता प्रबंध समिति में अध्यक्ष की कलावधि तीन वर्ष होगी ।
- (5) विधान सभा/विधान परिषद् के स्थानीय सदस्य और संसद् सदस्य समिति के अधिवेशनों में विशेष आमत्रित होंगे ।
- (6) जैव विविधता समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से व्यक्तियों का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है । रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।
- (7) जैव विविधता प्रबंध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों को, जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में ऑफर्ड रखने के बारे में अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के संबंध में सलाह देना है ।
- (8) प्राधिकरण व्यक्तियों के जैव विविधता रजिस्टर और उसकी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने और इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए कदम उठाएगा ।
- (9) प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंध समितियों को व्यक्तियों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी ।
- (10) जैव विविधता प्रबंध समितियों द्वारा व्यक्तियों का जैव विविधता रजिस्टर रखा जाएगा और विधिमान्य किए जाएंगे ।
- (11) समिति जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के प्रति पहुंच अधिरोपित फीस के संग्रहण के बारे और अभिग्रात फायदों तथा उनके प्रभाजन की शीति के बारों के संबंध में जानकारी देने गले रजिस्टर भी रखेगी ।

23 धारा 50 के अधीन विवादों के निपटारे के लिए अपील:-

- (1) यदि प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच या एक बोर्ड और दूसरे बोर्डों के बीच किसी आदेश या निदेश या नीतिगत विनिश्चय के किसी मुद्रे के क्रार्यान्वयन के कारण कोई भी व्यक्तित पक्षकार अर्थात् यथास्थिति प्राधिकरण या बोर्ड केन्द्रीय सरकार को धारा 50 के अधीन प्ररूप 5 में भास्त सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव को अपील कर सकेगा

- (2) राज्य जैव विविधता बोर्ड और अन्य राज्य विविधता बोर्ड या बोर्डों के बीच विवाद उद्भूत होने की दशा में व्यक्ति बोर्ड या बोर्डों द्वारा विवाद के बिंदु या बिंदुओं को केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो उन्हें प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा ।
- (3) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, वे धारा जिनका अपीलार्थी ने अपील करने के लिए आश्रय लिया है और चाहा गया अनुतोष कथित होंगे ।
- (4) अपील ज्ञापन के साथ आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय यथास्थिति उस आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की एक अधिप्रमाणित प्रति होगी जिसके द्वारा अपीलार्थी व्यक्ति है और जो अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगे ।
- (5) अपील का ज्ञापन विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर चार प्रतियों में या तो व्यक्तिगत रूप से रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से या सम्यक रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपील करने में विलंब होने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण था तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह पूर्वगत तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु यथास्थिति, विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय की तारीख से 45 दिन के अवसान से पूर्व अपील किया जाना अनुज्ञात कर सकेगी ।

- (6) अपील की सुनवाई की सूचना प्ररूप 6 में सम्यक रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से दी जाएगी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी और पक्षकारों के पश्चात् अपील की निपटारा सुनवाई करेगी ।
- (8) किसी अपील का निपटारा करते समय वह यथास्थिति विवादित आदेश, निदेश या नीतिगत विनिश्चय को परिवर्तित, उपांतरित या रद् कर सकेगा ।
- (9) प्राधिकरण किसी विवादित का न्याय निर्णयन करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और यथासाध्य उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जिसको इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार से अपनाए जाने की अपेक्षा है ।

#### 24. धारा 61 के अधीन सूचना देने की रीति

- (1) धारा 61 के खंड (ख) के अधीन सूचना देने की रीति निम्नानुसार होगी,  
अर्थात्:-
- (i) सूचना लिखित में प्ररूप 7 में होगी ।

(ii) सूचना देने वाला व्यक्ति उसे:-

(क) यदि अभिकथित अपराध संघ राज्य क्षेत्र में हुआ है तो राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष को; और

(ख) यदि अभिकथित अपराध राज्य में हुआ है तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष को भेजेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना सम्बन्धीय रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज जाएगी; और

(3) धारा 61 के खंड (ख) में वर्णित तीस दिन की अवधि की गणना उन तारीख से की जाएगी, जिसको उपनियम (1) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है।

### प्ररूप 1

(नियम 14 दर्खिए)

जैव विविधता संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक  
पहुंच के लिए आवेदन प्ररूप  
भाग क

1. (i) विभाग की पूर्ण विशिष्टियाँ  
 (ii) नामः  
 (iii) स्थायी पता :  
 (iv) भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता:  
 (v) संगठन का विवरण (विभाग कोई व्याप्ति हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया अधिग्राहण के सुरक्षित दस्तावेज संलग्न करें:  
 (vi) कारबाह की प्रकृति:  
 (vii) संगठन का अमेरिकी डालरों में व्यावृत्तः
2. चाहीं गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में बौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।  
 (क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचानः  
 (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति:  
 (ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति (मौखिक/दस्तावेजित):  
 (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्याप्ति/समुदायः  
 (ङ) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें):  
 (च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है:  
 (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या:  
 (ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होनेवाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है:  
 (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगा:
3. किसी राष्ट्रीय संस्था के बौरे जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी।
4. पहुंच प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य और उस अवस्थिति की पहचान, जहाँ अनुसंधान और विकास किया जाएगा।
5. आर्थिक और अन्य फायदे, इसके अंतर्गत वे भी हैं, जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और ज्ञान से अभिप्राप्त किसी बौद्धिक संपदा अधिकार से प्राप्त हुए हैं या उस देश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।

6. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों या ज्ञान से अभिप्राप्त तकनीकी/वैज्ञानिक, सामाजिक व कोई अन्य फायदे जो या उस आदेश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है तथा उत्पन्न हो सकेगा ।
7. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/समुदायों व प्रवाहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन ।
8. फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं ।
9. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं ।

## भाग ख घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पास्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा,
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी देने लिए दायी हूंगा/होंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

शीर्षक

## प्ररूप 2

(नियम 17 देखिए)

**विदेशी राष्ट्रिक कंपनियों• अनिवासी भारतीयों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन।**

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (ii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें):
2. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां किए गए अनुसंधान के परिणामों के बौरे।
3. अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और/या सहबद्ध ज्ञान के बौरे।
4. वह भौगोलीय अवस्थिति जहां अनुसंधान में प्रयुक्त जैव अनुसंधानों को संगृहीत किया जाता है।
5. अनुसंधान में प्रयुक्त पारंपरिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यक्ति/समुदाय के बौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारित किए हुए हैं।
6. उस संस्था के बौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किए जाते हैं।
7. उस व्यष्टि/संगठन के बौरे जिसको अनुसंधान परिणाम अंतरित किए जाने का आशय है।
8. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक आ किन्हीं फायदों के बौरे जो अंतरित अनुसंधान परिणामों के वाणिज्यिकरण के कारण व्यष्टि/संगठन को आशयित हैं या प्रोद्भूत होने हैं।
9. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक आ किन्हीं फायदों के बौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित हैं या प्रोद्भूत हुए हैं।
10. प्रस्तावित प्राप्तकर्ता और अनुसंधान के परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक द्वारा किसी क्षार या उनके बीच सद्भावना ज्ञापन के बौरे।

### घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूं ! करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

शीर्षक

### प्रस्तुप 3

(नियम 18 देरिए)

**जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए राष्ट्रीय**  
**जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्वानुमोदन चाहने के लिए आवेदन**

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (ii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसगत दस्तावेज संलग्न करें):
2. उस अन्वेषण के ब्यौरे जिन पर बौद्धिक संपदा अधिकार चाहे गए हैं ।
3. अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान और/या सहबद्ध ज्ञान के ब्यौरे ।
4. वह भौगोलिक अवस्थिति जहां अन्वेषण में प्रयुक्त जैव अनुसंधान संगृहीत किए जाते हैं ।
5. अन्वेषण में प्रयुक्त किन्हीं पारंपरिक ज्ञान और किसी पहचान किए गए व्यष्टि/समुदाय के ब्यौरे जो पारंपरिक ज्ञान धारण किए दुए हैं ।
6. उस संस्था के ब्यौरे जहां अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप किया जाता है ।
7. आर्थिक, जैव तकनीकी, दैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहनेवाले आवेदक को आशयित है या प्रोटमूत दुए हैं ।

### घोषणा

मैं *j* हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं *j* हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा *j* होंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

शीर्षक

## प्ररूप 4

(नियम 19 देखिए)

**पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन चाहने के लिए आवेदन प्ररूप**

1. आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां
  - (i) नाम
  - (iii) पता
  - (iii) वृत्तिक विवरण
  - (iv) संगठनात्मक सहबद्धता (कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें):
2. पहुंच प्राप्त जैव सामग्री और पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे ।
3. किए गए पहुंच संविदा के ब्यौरे (प्रति संलग्न की जाएं) ।
4. पहले से कार्यान्वित फायदा प्रभाजन के लिए तंत्र/व्यवस्थाएं के ब्यौरे ।
5. तीसरे पक्षकार की पूर्ण विशिष्टियां जिसको पहुंच प्राप्त सामग्री/ज्ञान अंतरण किए जाने का आशय है ।
6. आशयित तृतीय पक्षकार अंतरण का प्रयोजन ।
7. आर्थिक, जैव तकनीकी, वैज्ञानिक या किन्हीं अन्य फायदों के ब्यौरे जो अनुसंधान परिणामों के अंतरण के लिए अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को आशयित है या प्रोद्भूत हुए हैं ।
8. आवेदक और तृतीय पक्षकार के बीच किए जाने वाले करार के ब्यौरे ।
9. फायदों का प्राक्कलन जिनका पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के तीसरे पक्षकार को अंतरण के कारण भारत/समुदाय में प्रवाह होगा ।
10. दस्तावेज तिथि पक्षकार अंतरण के कारण फायदा प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएँ ।
11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी ।

### घोषणा

मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा / होंगे ।

दस्तावेज

नाम

शीर्षक

जैव विविधता अधिनियम व नियम

प्र० ५

(नियम 23(1) देखिए)

Form of Memorandum of Appeal

अपील के ज्ञापन का प्ररूप  
समक्ष

पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली दे

जैव विविधता प्राधिकरण  
(यथास्थिति)

(राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 2002 की धारा 50 के अधीन अपील का ज्ञापन

200 ... की अपील सं.

..... अपीलार्थी (अपीलार्थीयों

..... प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीयों

(यथास्थिति यहां प्राधिकरण/बोर्ड का पदाभिधान वर्णित करें)

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रत्यर्थी द्वारा पारित  
तारीख , , के आदेश के विरुद्ध यह अपील ज्ञापन करना चाहता है।

1. तथ्य:

(यहां मामले के संक्षेप में तथ्य वर्णित करें):

2. आधार

(वे आधार वर्णित करें जिन पर अपील वर्णित की गई है)

(i)

(ii)

(iii)

3. चाहा गया अनुतोषः

(i)

(ii)

(iii)

4. प्रार्थना

- (क) आवेदक जो ऊपर कथन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के आदेश/विनिश्चय को अपर्खंडित/अपास्त किया जाए।
- (ख) प्रत्यर्थी द्वारा बनायी गई नीति/मार्ग निर्देश/विनियम सीमा तक अपर्खंडित/उपांतरित/शून्यकृत किए जाएं

(ग)

—

आवेदक के हस्ताक्षर  
मुहर सहित

स्थान: \_\_\_\_\_  
तारीख: \_\_\_\_\_

### सत्यापन

मैं, आवेदक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

..... दिन .. को सत्यापित ।

आवेदक के हस्ताक्षर  
मुहर सहित  
पता :

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक: उस आदेश/निदेश/नीति विनिश्चय की अधिप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

## प्रृष्ठ 6

(नियम 23(5) देखिए)

... पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

जैव विविधता प्राधिकरण  
(यथास्थिति)

200 ..... की अपील सं.

— — — — .... अपीलार्थी (अपीलार्थियों)

— — — — ..... प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)

## सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश/निदेश/नीति विनिश्चय (ब्यौरे दे) के विरुद्ध फाइल की गई है। सुनवाई की तारीख ... में नियत हुई है।

अपील ज्ञापन की प्रतियां और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपाबंध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य प्रस्तावित तारीख को उपसंजात होने में असफल रहते हैं अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जाएगा।

अपील प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (मुहर)

तारीख: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

---

## प्रृष्ठ 7

### सूचना का प्रृष्ठ

(नियम 24(1) देखिए)

रजिस्ट्रीकृत डाक/सम्पर्क अभिस्वीकृति द्वारा

श्री \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

सेवा में, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**विषय:** जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अधीन सूचना

... द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है !

2. मैं/हम जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61(ख) के अधीन के विरुद्ध जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के लिए फाइल में परिवाद फाइल करने अपने/हमारे आशय की तीस दिन की सूचना देता हूं ( देते हैं ) ।

3. मेरे/हमारे सूचना के स्थान में मैं/हम सबूत के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं ।

स्थान: \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_

---

### स्पष्टीकरण :

- (1) किसी कंपनी के नाम से सूचना दिए जाने की दशा में कंपनी की ओर से सूचना को हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने का दस्तावेज साक्ष्य सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा ।
- (2) अभिकथित अपराधी का नाम और पता दें । प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव संसाधन/ज्ञान/अनुसंधान/जैव सर्वेक्षण और जैव पोषण/बौद्धिक संपदा अधिकार/पेटेंट का उपयोग किए जाने की दशा में उसके बौरे और वाणिज्यिक उपयोग, यदि कोई हों, प्रस्तुत किया जाएगा ।
- (3) अभिकथित उल्लंघन/अपराध/जांच को समर्थ बनाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत फोटो, तकनीकी रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं ।

(सं.जे. 22018/57/2002-सी एस सी (बी सी))  
देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव